



इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्देश्य विभाग का नाम दिया जाय।

कुलपति,
श्रीद्वार विद्यापीठ, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर -

पत्रांक : सम्बद्धता/2017/141

सेवा में,

दिनांक 29/05/2017

प्रबन्धक,
रामरेखा राय गंगा राय महिला महाविद्यालय,
राष्ट्रीय नगर, महाराजगंज।

विषय : स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रमों में सहायक प्रोफेसर के चयन का अनुमोदन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 08.05.2017 के सम्बन्ध में अवगत कराया है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रमों में सहायक प्रोफेसर के चयन का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के साथ सार्थक प्रदान करने की कृपा की है-

क्र.सं.	पदनाम	शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि
1	सहायक प्रोफेसर	शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में	इकबाल चन्द गौड़	श्री नन्द किशोर	01-10-1985
2	शैक्षणिक प्रोफेसर	शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में	बबु मण्डल	श्री गणेश प्रसाद गौतम	10-01-1985
3	सहायक प्रोफेसर	शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में	बबु श्वेता मिश्रा	श्री गोविन्द मिश्रा	01-03-1987
4	सहायक प्रोफेसर	शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में	सुकुन्द लाल	श्री गंगा प्रसाद	01-02-1978
5	सहायक प्रोफेसर	शिक्षण विषय	शालिनी पटेल	श्री प्रेम नारायण पटेल	10-07-1989
6	सहायक प्रोफेसर	ललित कला-संगीत	सुलदीप वर्मा	श्री बलराम राम वर्मा	17-08-1983

नोट- उपरोक्त अभ्यर्थियों का अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों/साक्ष्यों/शपथ पत्र में दी गयी जानकारी यदि भविष्य में अस्तित्व/भ्राम्यक पायी जाती है तो चयनित अभ्यर्थियों का अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा महाविद्यालय के विरुद्ध निचयानुसार वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

- महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या: 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक: 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निश्चित पत्र, फोटो सहित सचिवा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्याग्रह ग्रहण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयबाधिका रूप से उल्लेख किया जाय।
- शासनादेश संख्या: 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक: 11, मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों को एकजुटपैग्री बैंक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
- अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्द्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। प्राचार्य/प्रवक्ता के चयन का अनुमोदन चयन समिति के अनुमोदन के आधार पर दिया जा रहा है। यदि अनुमोदन के उपरान्त प्रस्तुत अभिलेखों में किसी भी प्रकार की अनियमितता/त्रुटि पायी जाती है तो अभ्यर्थी का चयन/अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

कुलपति

फोन : कार्यालय -
आवास -

प्रेषक,

कुलसचिव,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर -



इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय।

पत्रांक : 3.64.सि.वि.वि.वि/सम्बद्धता/2020
सेवा में,

दिनांक 23/07/2020

प्रबन्धक,
समरेखा राय गंगा राय महिला महाविद्यालय,
राजीवनगर, महाराजगंज।

विषय : स्वयत्तापीठित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष, शिक्षा के परिप्रेक्ष्य, शिक्षण विषय (गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं भाषा), स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, ललित कला एवं निष्पादन कला (संगीत, नृत्य एवं थियेटर) विषयों में सहायक प्रोफेसर के चयन का अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक-04.03.2020 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष, शिक्षा के परिप्रेक्ष्य, शिक्षण विषय (गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं भाषा), स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, ललित कला एवं निष्पादन कला (संगीत, नृत्य एवं थियेटर) विषयों में सहायक प्रोफेसर के चयन का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के साथ संघर्ष प्रदान करने की कृपा की है-

क्र.सं०	पद	प्रवक्ता का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	आधार कार्ड
1	विभागाध्यक्ष	श्री विनय कुमार राय	रामजी राय	12.05.1976	286610024862
2	शिक्षा के परिप्रेक्ष्य	श्री अजय रमेश यादव	रमेश यदुवीर यादव	01.06.1992	508199872915
3	शिक्षा के परिप्रेक्ष्य	श्री लालजी यादव	फेरू यादव	08.07.1992	912741243647
4	शिक्षा के परिप्रेक्ष्य	श्री कमलेश यादव	राजदेव यादव	01.07.1992	353574467788
5	शिक्षा के परिप्रेक्ष्य	श्री संतोष कुमार	शिवकुमार	20.08.1988	495527325522
6	सहायक प्रोफेसर (शिक्षण विषय)	श्री इन्देश कुमार	बुधई	11.07.1991	202015713430
7	सहायक प्रोफेसर (शिक्षण विषय)	श्री शैलेश कुमार लोधी	कैवल सिंह	16.10.1987	976202269838
8	सहायक प्रोफेसर (शिक्षण विषय)	श्री दिवाकर यादव	ठाकुर प्रसाद यादव	07.07.1990	780459591786
9	सहायक प्रोफेसर (शिक्षण विषय)	श्री आनेन्द्र कुमार	हजारी लाल	15.06.1991	238187210715
10	सहायक प्रोफेसर (शिक्षण विषय)	श्री मूलायम सिंह यादव	राजेन्द्र प्रसाद यादव	01.01.1994	439786421005
11	सहायक प्रोफेसर (स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा)	श्री अमरनाथ चौहान	जयप्रकाश नारायण चौहान	11.12.1995	984382474245
12	सहायक प्रोफेसर (संगीत)	श्री विरेन्द्र कुमार यादव	भारत लाल	17.08.1993	275534130539
13	सहायक प्रोफेसर (चित्रकला)	श्री मुकुल वर्मा	गिरीश वर्मा	01.07.1994	307662446724

नोट-अन्योक्त अभ्यर्थियों का अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत अगिलेखों/साक्ष्यों/सम्पन्न पत्र में दी गयी जानकारी यदि भविष्य में अशुद्ध/भ्रामक पायी जाती है तो चयनित अभ्यर्थियों का अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जावेगा तथा महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

शर्तें-

- महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनदेश संख्या: 2443/सत्तर-2-2000-2(95)/97 दिनांक: 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित सविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे। अनुबंध पत्र में समयवधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
- शासनदेश संख्या: 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक: 11, मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संख्या द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अभ्यापक एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी बैंक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
- अभ्यापकों के लिए अशुद्धाधी भविष्य निधि (कन्ट्रिब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।
 - प्राचार्य/प्रवक्ता के चयन का अनुमोदन चयन समिति के अनुमोदन के आधार पर दिया जा रहा है। यदि अनुमोदन के उपरान्त प्रस्तुत अगिलेखों में किसी भी प्रकार की अनियमितता/त्रुटि पायी जाती है तो अभ्यर्थी का चयन/अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जावेगा।

भवदीय

कुलसचिव